| तारिख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>**F.S.S.Act Case No.34/2024** | नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए |
|---|---|---|
| 20.11.2024 | पत्रावली पेश हुई। श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी मदनसिंह पुत्र सुखसिंह जी राजपुरोहित, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, फर्म महालक्ष्मी जोधपुर मिष्ठान भण्ड़ार, बस स्टेण्ड़, आबूरोड़, जिला– सिरोही के अधिवक्ता श्री पुष्पेन्द्र चौधरी उपस्थित।<br><br>आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादी के विरुद्ध आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिलीप सिंह यादव द्वारा दिनांक 27.8.2023 को फर्म महालक्ष्मी जोधपुर मिष्ठान भण्ड़ार, बस स्टेण्ड़, आबूरोड़, जिला– सिरोही में प्रतिवादी मदनसिंह पुत्र सुखसिंह जी राजपुरोहित से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ कलाकन्द (दूध व चीनी से निर्मित मिठाई) का नमूना संख्या S-2189 निदेशक, निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला, मैसूर के विश्लेष प्रमाण पत्र संख्या:1147F/FSSA/2023 दिनांक 16.01.2024 में अमानक (Sub-standard) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51 के तहत प्रतिवादी के विरुद्ध प्रस्तुत कर प्रतिवादी पर जुर्माना आरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाया गया। जिस पर प्रकरण की सुनवाई के दौरान प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता श्री पुष्पेन्द्र चौधरी उपस्थित हुये एवं प्रतिवादी की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत किया।<br><br>प्रकरण में बहस हेतु आज नियत तिथि 20.11.2024 को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित नही हुये। प्रतिवादी के अधिवक्ता श्री पुष्पेन्द्र चौधरी की बहस सुनी गई, जिन्होंने बहस के दौरान प्रतिवादी के जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने न्याय निर्णयन आवेदन में अंकित कथनों को सक्षम साक्ष्य से साबित नही करवाया है। आवेदक ने उक्त सेम्पल को एकत्रित कर जाब्ते में लेकर एक निश्चित ताप पर स्टोर नही किये थे जिसकी जानकारी प्रतिवादी अभियुक्त ने आवेदक को दी थी कि उक्त सेम्पल को आप एक निश्चित ताप पर ही स्टोर करे, अन्यथा तापमान कम ज्यादा होने से सेम्पल की क्वालिटी प्रभावित होती है तथा आवेदक ने उक्त तथ्य पर विधि सम्मत स्टोरेज में उक्त सेम्पल को स्टोर नही किया है। आवेदक ने अपने आवेदन में उक्त सेम्पल को दिनांक 27.8.2023 को एकत्रित करना बताया है, जबकि लेब में भेजे जाकर उक्त सेम्पल की जांच रिपोर्ट दिनांक 21.9.2023 को प्राप्त हुई अर्थात् करीब एक माह के समय अन्तराल में सेम्पल के स्टोरेज तथा गुणवत्ता प्रभावित नही होने के संबंध में कोई भी साक्ष्य पत्रावली में संलग्न नही की है। साथ ही सेम्पल लिये जाने के समय से लेकर वक्त परीक्षण तक सेम्पल को किस तापमान पर स्टोर किया व विधि सम्मत स्टोरेज की प्रक्रिया के पालन के संबंध में कोई भी कथन या साक्ष्य का दस्तावेज आवेदन के साथ प्रस्तुत नही किया है, साथ ही आवेदक की उक्त त्रृटि के कारण ही सेम्पल की क्वालिटी प्रभावित हुई है जिसमें उक्त सेम्पलिंग में अमानक होना पाया जाने में अभियुक्त की कोई त्रृटि या<br><br>....लगातार | |

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

| तारिख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>F.S.S.Act Case No.34/2024 | नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए |
|---|---|---|

अपराध कारित किया जाना गलत व मनगढंत है। प्रतिवादी द्वारा आवेदक को सेम्पलिंग के समय से लेकर परीक्षण तक सेम्पल को एक ही तापमान पर स्टोर किये जाने हेतु अनुरोध किया था, साथ ही आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा भी विधि सम्मत स्टोरेज प्रक्रिया का पालन नही कर केवल मात्र आंकडे दर्शित करने हेतु प्रतिवादी की दुकान से उक्त सेम्पल लिया जाकर प्रतिवादी को झूठा फंसाया गया है। सही हकीकत है कि उक्त सेम्पलिंग के बाद से सेम्पल को एक ही तापमान पर स्टोर किया जाना आवश्यक व विधि सम्मत था परन्तु उक्त स्टोरेज की त्रुटि के कारण ही सेम्पल की क्वालिटी प्रभावित हुई है जिससे उक्त खाद्य पदार्थ कलाकन्द के अमानक होने का कथन प्रतिवादी के विरुद्ध प्रमाणित नही होता है। अतः आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को खारिज किया जावे।

हमनें सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव, दिनांक 27.8.2023 को समय 1.30 पी.एम. पर खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु फर्म महालक्ष्मी जोधपुर मिष्ठान भण्ड़ार, बस स्टेण्ड़, आबूरोड़ पर गये। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता व मालिक की हैसियत से प्रतिवादी मदनसिंह पुत्र सुखसिंह जी राजपुरोहित, निवासी हाल– बस स्टेण्ड़, आबूरोड़ उपस्थित मिले, जो आम जनता को खाद्य पदार्थ कलाकन्द (दूध व चीनी से निर्मित मिठाई) बेचता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव द्वारा फर्म महालक्ष्मी जोधपुर मिष्ठान भण्ड़ार, बस स्टेण्ड़, आबूरोड़ के निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग में आने वाले खाद्य पदार्थ कलाकन्द (दूध व चीनी से निर्मित मिठाई) के अमानक होने का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर करते हुए इसकी सूचना मौके पर उपस्थित गवाह श्री श्रवणसिंह, वाहन चालक, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के समक्ष प्रपत्र 5ए में प्रतिवादी विक्रेता/खाद्य कारोबारकर्ता मदनसिंह को भरकर दी व रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव ने फर्म महालक्ष्मी जोधुपर मिष्ठान भण्ड़ार के अन्दर स्टील की ट्रे में बिक्री हेतु मौजूद कलाकन्द (दूध व चीनी से निर्मित मिठाई) लगभग 4 किलोग्राम में से 2 किलोग्राम कलाकन्द (दूध व चीनी से निर्मित मिठाई) को एक साफ, सूखे, खाली भिगोने में खरीदा एवं उसकी कीमत राशि रुपये 600/– (अक्षरे रुपये छः सौ मात्र) प्रतिवादी विक्रेता मदनसिंह को नकद अदा कर खरीद रसीद/बिल प्राप्त किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव ने लेबल तैयार कर लेबल पर अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) के कोड एवं क्रमांक S-2189, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ कलाकन्द (दूध व चीनी से निर्मित मिठाई) आदि अंकित कर उस पर प्रतिवादी विक्रेता व गवाह के हस्ताक्षर कराये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव स्वयं ने हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव ने खरीद शुदा खाद्य पदार्थ कलाकन्द (दूध व चीनी से निर्मित मिठाई) को हिलामिला कर एकरूप कर

.....लगातार

न्यायालय प्रति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

प्रति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

| तारिख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>F.S.S.Act Case No.34/2024 | नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए |
|---|---|---|
| | चार अलग अलग साफ सूखी व खाली शीशीयों में बराबर बराबर मात्रा में भरकर प्रत्येक शीशी में फार्मेलीन की 40–40 बूंदे डालकर इन चारों शीशीयों को ढक्कन से एयर टाईट बन्द किया। चारों नमूना शीशीयों पर एक–एक लेबल लगाया एवं चारों नमूना शीशीयों को अलग अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप S-2189 को नियमानुसार गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को नियमानुसार सील चपडी किया व प्रत्येक नमूना भाग पर प्रतिवादी विक्रेता व गवाह के हस्ताक्षर कराये व आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् चारों नमूना भागों को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव ने कब्जे/जाप्ते में लिया तथा मौका रिपोर्ट तैयार की, जिस पर प्रतिवादी विक्रेता, गवाह व आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव के हस्ताक्षर है। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव ने कार्यालय में पॅहुचकर फार्म नम्बर VI की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूनें को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की। नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर VI की एक–एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को आउटर कवर में बंद किया व नियमानुसार सील चपडी किया तथा फार्म नम्बर VI की की दो–दो प्रतियां दो लिफाफो में अलग–अलग बन्द कर गोंद से चिपकाकर लिफाफों को सील चपडी किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव ने दिनांक 28.8.2023 को नमूनें का एक भाग व फार्म नम्बर 6 का एक सील बन्द लिफाफा श्री बाबुलाल, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन नमूना भाग व फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को दिनांक 28.8.2023 को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। इस प्रकार, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव द्वारा फर्म महालक्ष्मी जोधपुर मिष्ठान भण्ड़ार, बस स्टेण्ड़, आबूरोड़ में प्रतिवादी मदनसिंह पुत्र सुखसिंह जी राजपुरोहित से खाद्य पदार्थ कलाकन्द (दूध व चीनी से निर्मित मिठाई) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की विधिवत कार्यवाही करते हुए जांच हेतु नमूनें का एक भाग मय फार्म नम्बर 6 के सीलबन्द लिफाफे के खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाया गया है। प्रकरण में खाद्य पदार्थ कलाकन्द (दूध व चीनी से निर्मित मिठाई) के नमूना संख्या S-2189 की खाद्य विश्लेषक, जोधपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./2358/Act/2023/2366 दिनांक 08.9.2023 में खाद्य पदार्थ कलाकन्द (दूध व चीनी से निर्मित मिठाई) का नमूना संख्या S-2189, असुरक्षित खाद्य (Unsafe food) पाया गया है। प्रकरण में प्रतिवादी द्वारा कलाकन्द (दूध चीनी से निर्मित मिठाई) के नमूनें के द्वितीय भाग के रेफरल लेब से पुनः जांच करवाने हेतु अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही को अपील आवेदन प्रस्तुत करने पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही द्वारा खाद्य पदार्थ कलाकन्द (दूध चीनी से निर्मित मिठाई) के नमूनें के द्वितीय भाग<br>.....लगातार | |

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट ★ सिरोही (राज०) ★

प्राव. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

| तारिख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>**F.S.S.Act Case No.34/2024** | नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए |
|---|---|---|
| | को विश्लेषण जांच हेतु निदेशक, निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला, मैसूर को भिजवाया गया। प्रकरण में खाद्य पदार्थ कलाकन्द (दूध चीनी से निर्मित मिठाई) के नमूना संख्या S-2189 की निदेशक, निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला, मैसूर से प्राप्त विश्लेषण जांच प्रमाण पत्र संख्या:1147F/FSSA/2023 दिनांक 16.01.2024 के अनुसार खाद्य पदार्थ कलाकन्द (दूध चीनी से निर्मित मिठाई) का नमूना अमानक (Sub-standard) पाया गया है। इस प्रकार, प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रतिवादी मदनसिंह पुत्र सुखसिंह जी राजपुरोहित, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, फर्म महालक्ष्मी जोधपुर मिष्ठान भण्ड़ार, बस स्टेण्ड, आबूरोड़ ने अमानक (Sub-standard) खाद्य पदार्थ कलाकन्द (दूध व चीनी से निर्मित मिठाई) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।<br><br>**आदेश**<br><br>अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 के तहत अमानक (Sub-standard) खाद्य पदार्थ कलाकन्द (दूध व चीनी से निर्मित मिठाई) के विक्रय हेतु प्रतिवादी मदनसिंह पुत्र सुखसिंह जी राजपुरोहित, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, फर्म महालक्ष्मी जोधपुर मिष्ठान भण्ड़ार, बस स्टेण्ड, आबूरोड़, जिला– सिरोही पर राशि रुपयें 35,000/– (अक्षरे रुपये पैतीस हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। साथ ही, प्रतिवादी मदनसिंह पुत्र सुखसिंह जी राजपुरोहित, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, फर्म महालक्ष्मी जोधपुर मिष्ठान भण्ड़ार, बस स्टेण्ड, आबूरोड़ को आदेशित किया जाता है कि उक्त अधिरोपित जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 30 दिवस में जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय की प्रति संबंधित को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 20.12.2024 को पेश हो।<br><br>(डॉ. दिनेश राय सापेला)<br>अति. जिला मजिस्ट्रेट<br>सिरोही–307001. | |

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट ★ सिरोही (राज०) ★